अध्याय -V

भू-राजस्व

कार्यकारी सारांश

इस अध्याय में हमने जिन विशिष्टताओं को उद्घाटित किया है	इस अध्याय में हम भूमि सुधार उपसमाहर्ता-सह-खास महल और अंचल कार्यालयों में खास महल भूमि एवं सरकारी भूमि के हस्तांतरण से संबंधित दस्तावेजों की नमूना जाँच के दौरान दृष्टिगत अवलोकनों में से चुने गए ₹ 14.99 करोड़ के मामले को दृष्टांतस्वरूप प्रस्तुत करते हैं, जहाँ हमने पाया कि अधिनियमों/नियमों के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया था। यह चिन्ता का विषय है कि हमारे द्वारा विगत कई वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में समान कमियों को बार-बार बताया गया है लेकिन विभाग ने सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की है।
कर संग्रहण में कमी और इसका बजट अनुमानों से वृहत् विचलन होना	वर्ष 2011-12 में भू-राजस्व करों का संग्रहण पिछले वर्ष की तुलना में 59.48 प्रतिशत कम था परन्तु विभाग ने इसका कोई कारण नहीं बतलाया। तदन्तर, वर्ष 2011-12 के दौरान राजस्व संग्रहण पुनरीक्षित अनुमान से 36.59 प्रतिशत कम था।
आंतरिक लेखापरीक्षा का संचालन नहीं होना	विभाग में आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा की स्थापना नहीं की गई है। वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर आंतरिक लेखापरीक्षा संचालित किया जाता है। तथापि, वित्त विभाग द्वारा वर्ष 2011-12 के दौरान लेखापरीक्षा संचालन से संबंधित सूचना उपलब्ध नहीं कराया गया। आंतरिक लेखापरीक्षा का संचालन नहीं होने से विभाग में कमजोर आंतरिक नियंत्रण के रूप में इसका प्रभाव पड़ता है, जो राजस्व की कमी को बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त है। इस कारण से सर्किल ऑफिसर/अंचल अधिकारी और भूमि सुधार उपसमाहर्ता (भू.सु.उ.स.) की तरफ से हुए भूल का हमारे द्वारा लेखापरीक्षा संचालित होने तक पता लगे बिना रह जाता है।
पिछले वर्षों में हमारे द्वारा उठाए गए आपत्तियों पर विभाग द्वारा वसूली से संबंधित प्रतिवेदन अप्राप्त	वर्ष 2006-07 से 2009-10 की अवधि के दौरान हमने पट्टों का नवीकरण नहीं होने के कारण राजस्व का उद्ग्रहण नहीं होना, भूमि अतिक्रमण आदि से संबंधित 5,708 मामलों में अंतर्ग्रस्त ₹ 1,762.89 करोड़ की राशि का पता लगाया था। इनमें से 808 मामलों में अन्तर्ग्रस्त ₹ 351.13 करोड़ की राशि के लेखापरीक्षा अवलोकनों को विभाग/सरकार ने स्वीकार किया लेकिन उनके द्वारा स्वीकार किये गए मामलों के विरूद्ध वसूली से संबंधित सूचना नहीं दिया गया।
हमारे द्वारा वर्ष 2011-12 में संचालित लेखापरीक्षा के परिणाम	वर्ष 2011-12 में भू-राजस्व से संबंधित 30 इकाईयों के अभिलेखों की हमने नमूना जाँच किया और पाया कि खास महल भूमि, अतिक्रमित सर्वजनिक भूमि का नहीं हटाना/बन्दोबस्त नहीं करना आदि से संबंधित 68 मामलों में सन्निहित ₹ 36.64 करोड़ के राजस्व का उद्ग्रहण नहीं हुआ।
हमारा निष्कर्ष	**राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को आंतरिक लेखापरीक्षा पद्धति को सुदृढ़ करने सहित आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में सुधार की जरूरत है जिससे कि प्रणाली की खामियों को दूर किया जा सके और हमारे द्वारा उद्भेदित चूक की प्रकृति से भविष्य में बचा जा सके।** **हमारे द्वारा इंगित किये गये करों के अनुद्ग्रहण,कम आरोपण आदि की वसूली के लिये खासकर उन मामलों में जहाँ हमारे मंतव्य को स्वीकार कर लिया गया है, त्वरित कार्रवाई शुरू करने की जरूरत है।**

अध्याय - V: भू-राजस्व

5.1 कर प्रशासन

झारखण्ड में भू-राजस्व के नियमों[1] का प्रशासन, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव/आयुक्त द्वारा किया जाता है। सभी महत्वपूर्ण मामलों का निपटारा, नीतिगत निर्धारण एवं सरकारी भूमि के अंतरण की स्वीकृति सरकारी स्तर पर होते हैं। राज्य पाँच प्रमण्डलों[2] में विभाजित है, प्रत्येक का प्रमुख प्रमण्डलीय आयुक्त होते हैं एवं 24 जिलों[3] में विभाजित है, प्रत्येक का प्रमुख उपायुक्त होते हैं। जिला स्तर पर उपायुक्त को अपर समाहर्ता/अपर उपायुक्त (अ.स./अ.उ.) सहायता प्रदान करते हैं। प्रत्येक जिला अनुमण्डलों में विभाजित है, जिसके प्रमुख अनुमण्डल पदाधिकारी (अ.प.) होते हैं, जिनको भूमि सुधार उपसमाहर्ता (भू.सु.उ.स.) सहायता प्रदान करते हैं। अनुमण्डलों को अंचल/सर्किल में विभाजित किया गया है, जिनके प्रमुख सर्किल अफिसर (सी.ओ.)/अंचल अधिकारी (अ.अ.) होते हैं।

भू-लगान (सेस सहित), सैरात[4], सलामी[5], व्यावसायिक/आवासीय लगान इत्यादि "भू-राजस्व" के अन्तर्गत अनेको प्राप्तियाँ हैं।

5.2 प्राप्तियों की प्रवृति

बिहार वित्तीय नियमावली,भाग-I (झारखण्ड सरकार द्वारा अंगीकृत) के प्रावधानों के अनुसार राजस्व प्राप्तियों के बजट अनुमानों को तैयार करने का उत्तरदायित्व वित्त विभाग का है। यद्यपि बजट अनुमानों के लिए आँकड़े संबंधित प्रशासनिक विभाग से प्राप्त किया जाता है, जो की सत्यता के लिए जिम्मेवार हैं। राजस्व के उतार-चढ़ाव के मामले में अनुमान पिछले तीन वर्षों की प्राप्तियों की तुलना पर आधारित होना चाहिए।

वर्ष 2007-08 से 2011-12 की अवधि के दौरान भू-राजस्व का पुनरीक्षित अनुमान (पु.अ.) और वास्तविक प्राप्तियों के साथ उक्त अवधि में कुल कर प्राप्तियों को निम्न तालिका एवं ग्राफ में दर्शाया गया है:

---

1 1. बिहार काश्तकारी अधिनियम 1985, 2.छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908, 3. संथाल परगना अधिनियम 1949, 4. बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1950, 5. बिहार भूमि सुधार (भू-हदबंन्दी क्षेत्र का निर्धारण एवं अधिशेष भूमि का अधिग्रहण) अधिनियम 1961, 6. बिहार भूदान अधिनियम 1954, 7. बिहार सरकार सम्पदा (खास महल), नियमावली-1953, 8. बिहार लोक अतिक्रमण अधिनियम 1950, 9. बंगाल सेस 1880 और 10. समय-समय पर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा जारी अधिशासी अदेशों।

2 दक्षिणी छोटानागपुर (राँची), उत्तरी छोटानागपुर (हजारीबाग), संथाल परगना (दुमका), पलामू (मेदिनीनगर) और कोल्हान (चाईबासा)।

3 बोकारो, चतरा, धनबाद, दुमका, देवघर, पूर्वी सिंहभूम, गढ़वा, गोड्डा, गिरिडीह, गुमला, हजारीबाग, जामताड़ा, कोडरमा, खूँटी, लातेहार, लोहरदगा, पाकुड़, पलामू, रामगढ़, राँची, साहेबगंज, सरायकेला, सिमडेगा एवं पश्चिम सिंहभूम।

4 सैरात-हाट, बाजार, मेला, पेड़,घाट,आदि से संबंधित राजस्व प्राप्ति का अधिकार।

5 भूमि का बाजार मूल्य सलामी है। यह लीज की अवधि के दौरान अनुमानित मूल्य में वृद्धि का अंश है।

(₹ करोड़ में)

वर्ष	पुनरीक्षित अनुमान	वास्तविक प्राप्तियाँ	विचरण अधिक (+)/ कमी (-)	विचरण की प्रतिशतता	राज्य की कुल कर की प्राप्तियाँ	कर की कुल प्राप्तियों की तुलना में भू-राजस्व की वास्तविक प्राप्तियों की प्रतिशतता
2007-08	37.45	26.26	(-) 11.19	(-) 29.88	3,473.55	0.76
2008-09	52.75	53.33	(+) 0.58	(+) 1.10	3,753.21	1.42
2009-10	60.00	41.28	(-) 18.72	(-) 31.20	4,500.12	0.92
2010-11	66.00	130.65	(+) 64.65	(+) 97.95	5,716.63	2.29
2011-12	83.49	52.94	(-) 30.55	(-) 36.59	6,953.89	0.76

स्रोतः वित्त लेखा एवं झारखण्ड सरकार के वर्ष 2012-13 के राजस्व एवं प्राप्तियों के विवरणी के अनुसार पुनरीक्षित अनुमान।

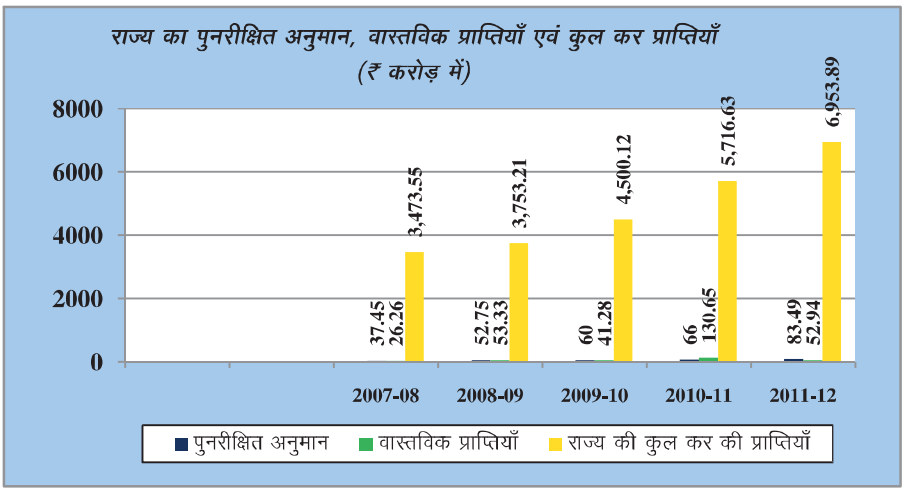

उपरोक्त से यह देखा जा सकता है कि पुनरीक्षित अनुमानों एवं वास्तविक प्राप्तियों के बीच विचलन बहुत ज्यादा था। वर्ष 2010-11 में पुनरीक्षित अनुमान से प्राप्तियाँ 98 प्रतिशत अधिक थी तथा वर्ष 2011-12 में यह 37 प्रतिशत कम थी। हमारे द्वारा पूछे जाने पर वित्त विभाग ने कहा (अक्टूबर 2012) कि संबंधित प्रशासनिक विभाग से विस्तृत विमर्श के उपरान्त एवं गत तीन वर्षों के राजस्व प्राप्तियों के औसत के आधार पर बजट अनुमान निर्धारित किया जाता है। इस प्रकार हमने पाया कि गत तीन वर्षों के वास्तविक राजस्व प्राप्तियों के औसत की तुलना से वर्ष 2011-12 में पुनरीक्षित अनुमान 11 प्रतिशत ऊँची थी। यह दर्शाता है कि बजट नियमावली के प्रावधानों के अनुसार बजट अनुमानों को वास्तविकता के आधार पर तैयार नहीं किया गया था।

हम अनुशंसा करते हैं कि सरकार वास्तविक एवं वैज्ञानिक आधार पर बजट अनुमानों को तैयार करने के लिए उचित निर्देश जारी कर सकती है एवं यह सुनिश्चित करे कि ये वास्तविक प्राप्तियों के निकट हो।

5.3 आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा का कार्यकलाप

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा नहीं है। वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर आंतरिक लेखापरीक्षा संचालित किया जाता है। वर्ष 2011-12 के दौरान वित्त विभाग द्वारा लेखापरीक्षा के संचालन से संबंधित सूचना उपलब्ध नहीं कराया गया (फरवरी 2013)।

5.4 लेखापरीक्षा के प्रभाव

राजस्व प्रभाव

वर्ष 2006-07 से 2009-10 की अवधि के दौरान हमने 5,708 मामलों में अंतर्ग्रस्त ₹ 1,762.89 करोड़ की राशि के सन्निहित खास महल[6] भूमि के पट्टों का नवीकरण नहीं होना, सार्वजनिक भूमि का अतिक्रमण आदि मामलों का पता लगाया। इनमें से 808 मामलों में अन्तर्ग्रस्त ₹ 351.13 करोड़ की राशि के लेखापरीक्षा अवलोकनों को विभाग/सरकार ने स्वीकार किया, जैसा कि निम्न तालिका में दर्शाया गया है:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	लेखापरीक्षित इकाईयों की संख्या[7]	अप्राप्ति की राशि		स्वीकार की गई राशि	
		मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि
2006-07	13	63	22.53	41	7.89
2007-08	12	3,231	588.50	694	5.17
2008-09	9	2,395	1,151.31	55	338.04
2009-10	22	19	0.55	18	0.03
कुल	**56**	**5,708**	**1,762.89**	**808**	**351.13**

विभाग ने इन मामलों के विरूद्ध वसूली से सम्बन्धित प्रतिवेदन नहीं दिया यद्यपि इस संबंध में प्रतिवेदन माँगा गया था (जून 2012)।

5.5 बकाया राजस्व का विश्लेषण

31 मार्च 2011 को राजस्व का बकाया ₹ 10.52 करोड़ था। वर्ष 2007-08 से 2010-11 की अवधि के दौरान राजस्व के बकाया की वर्षवार स्थिति नीचे दिखलाया गया है:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारंम्भिक शेष	योग	निष्पादन	अंत शेष
2007-08	2.35	8.69	9.19	1.85
2008-09	1.85	6.85	7.72	0.98
2009-10	0.98	21.60	13.58	9.00
2010-11	9.00	16.03	14.51	10.52
2011-12	विभाग ने बकाये की स्थिति को प्रस्तुत नहीं किया।			

स्त्रोतः राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार।

किस स्तर पर राजस्व बकाया पर कार्रवाई लंबित है, विभाग ने इसकी जानकारी प्रस्तुत नहीं की है।

---

6 खास महलः सरकार के सीधे स्वामित्व/प्रबन्ध के अन्तर्गत सम्पदा।

7 वर्ष 2010-11 के दौरान लेखापरीक्षा संचालित नहीं हुआ क्योंकि मई 2011 तक लेखापरीक्षित इकाईयों को 'राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के कार्य प्रणाली' पर की गई एक निष्पादन लेखापरीक्षा में इन इकाईयों को शामिल किया गया तथा वर्ष 2009-10 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल किया गया।

5.6 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2011-12 के दौरान 'भू- राजस्व' से संबंधित 30 इकाईयों के अभिलेखों की हमारे नमूना जाँच से 68 मामलों में सन्निहित ₹ 36.64 करोड़ के राजस्व की कम/वसूली नहीं होना और राजस्व की हानि तथा अन्य अनियमितताओं का पता चला जो निम्नलिखित श्रेणियों में आतें हैं:

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	श्रेणी	मामलों की संख्या	राशि
1.	उपकरों का नहीं लगाया जाना और कम लगाया जाना और/या उपकरों के बकाया पर सूद नहीं लगाना	3	11.54
2.	सन्निहित भूमि की बन्दोबस्ती नहीं होना	5	0.02
3.	सैरातों का बन्दोबस्ती नहीं होना	5	0.06
4.	पट्टों का नवीकरण नहीं होने के कारण राजस्व का उद्ग्रहण नहीं होना	1	10.28
5.	अन्य मामलें	54	14.74
कुल		**68**	**36.64**

इस अध्याय में दृष्टांतस्वरूप ₹ 14.99 करोड़ के वसूली योग्य वित्तीय गड़बड़ी के कुछ मामलों को हम प्रस्तुत करते हैं, जिसकी चर्चा अनुवर्ती कंडिकाओं में की गयी है।

5.7 लेखापरीक्षा अवलोकन

राजस्व और भूमि सुधार विभाग के कार्यालयों में भू-लगान, सैरात, सलामी आदि से प्राप्त राजस्व से संबंधित अभिलेखों की हमारी संवीक्षा ने अधिनियम/नियमावली के प्रावधानों का पालन नहीं करने के फलस्वरूप सलामी/भू-लगान नहीं/कम लगाये जाने के अनेक मामले को बताया जो इस अध्याय के अनुवर्ती कंडिकाओं में दिये गये हैं। ये मामले दृष्टांतस्वरूप है और हमारे द्वारा किये गये नमूना जाँच पर आधारित हैं। प्रत्येक वर्ष ऐसी त्रुटियाँ हमारे द्वारा इंगित की जाती हैं, लेकिन न केवल उक्त अनियमितताएँ बरकरार रहती है बल्कि लेखापरीक्षा संचालन तक ये अनभिज्ञात रह जाती है।

5.8 अधिनियम/नियमावली के प्रावधानों का पालन नहीं होना

बिहार राज्य सम्पदा (खास महल) नियमावली, 1953 और इसके अंतर्गत बने नियमों के अधीन और समय-समय पर जारी निर्देशों जैसा कि झारखण्ड सरकार द्वारा अंगीकृत किया गया, प्रावधान करता है किः

i) आवासीय एवं व्यावसायिक प्रयोजनों के लिए नये पट्टों पर सलामी, भूमि का वर्तमान बाजार मूल्य, के अलावे ऐसी सलामी का क्रमशः दो प्रतिशत एवं पाँच प्रतिशत पर वार्षिक लगान देय होगा;और

ii) पूर्व पट्टा की समाप्ति की तिथि से नये पट्टे में प्रस्तावित दर से बकाये के लिए वार्षिक लगान का दुगुना दाण्डिक लगान के रूप में देय होगा।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने अधिनियम/नियमावली के कुछ प्रावधानों का पालन नहीं किया जिसके फलस्वरूप सरकारी राजस्व का उद्ग्रहण नहीं हुआ जो अनुवर्ती कंडिकाओं में दिये गये हैंः

5.9 पट्टों का नवीकरण नहीं होने के कारण राजस्व का उद्ग्रहण नहीं होना

बिहार सरकार सम्पदा (खास महल) नियमावली और इसके अंतर्गत बने नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत (झारखण्ड सरकार द्वारा अंगीकृत) पट्टा स्वीकृत करने के लिए, राज्य सरकार को पट्टा समाप्ति के छः माह पूर्व ऐसे पट्टों के नवीकरण हेतु आवेदन करने के लिए पट्टाधारियों को सूचना निर्गत करना है जबकि पट्टाधारी के लिए आवश्यक है कि वह पट्टा समाप्त होने के तीन माह पूर्व नवीकरण हेतु आवेदन करे। यदि पट्टाधारी बिना लगान का भुगतान किये और बिना पट्टा का नवीकरण कराये पट्टा वाली सम्पत्ति को रखता है तो उसे अनाधिकार प्रवेश का दोषी माना जाएगा और पिछले बंधों और शर्त्तों पर नवीकरण का उसका कोई दावा नहीं होगा। तदन्तर, आवासीय और व्यावसायिक प्रयोजनों के लिए नये पट्टों पर भूमि के वर्तमान बाजार मूल्य के आधार पर सलामी के अतिरिक्त ऐसी सलामी का क्रमशः दो प्रतिशत एवं पाँच प्रतिशत की दर पर वार्षिक लगान भुगतेय है। सरकार के द्वारा अप्रैल 1999 एवं अप्रैल 2011 में निर्गत अनुदेशों के अनुसार पट्टाधारियों को दाण्डिक लगान और प्रस्तावित लगान और पट्टाधारियों द्वारा पूर्व में भुगतान किये गये लगान के अंतर पर 10 प्रतिशत की दर से ब्याज भुगतेय है। तदन्तर, यदि पट्टाधारी भूमि को पट्टा पर लेना नहीं चाहता है, तो पट्टाधारी से जमीन का कब्जा वापस लिया जायेगा।

हमने भूमि सुधार उपसमाहर्ता-सह-खास महल कार्यालय, मेदिनीनगर के खास महल पंजी एवं खास महल के पट्टा अभिलेखों की नमूना जाँच किया (जुलाई 2011) और देखा कि 155 पट्टा जिसमें 21.40 एकड़ भूमि सन्निहित है, 2004-05 से 2010-11 के मध्य समाप्त हो गया था। पट्टा के नवीकरण के लिए न तो पट्टाधारियों द्वारा पट्टे की समाप्ति के पूर्व या बाद में आवेदन दिया गया न ही विभाग द्वारा खास महल पंजी की समीक्षा की गई और न ही पट्टाधारियों को नवीकरण हेतु सूचना निर्गत किया गया। इस प्रकार, विभाग द्वारा समय-समय पर संबंधित अभिलेखों की समीक्षा एवं समाप्त पट्टों के नवीकरण के लिए कार्रवाई करने में असफल रहने के फलस्वरूप वर्ष 2004-05 से 2010-11 की अवधि के लिए सलामी, दाण्डिक लगान एवं ब्याज के रूप में ₹ 10.28 करोड़ सरकारी राजस्व का उद्ग्रहण नहीं हुआ।

हमारे द्वारा मामला बताये (जुलाई 2011) जाने पर, खास महल पदाधिकारी, मेदिनीनगर ने कहा (मार्च 2012) कि नये पट्टों के लिए आवेदन माँगा जा रहा है और मामलों की स्वीकृति के पश्चात् नये पट्टों के बन्दोबस्ती हेतु कार्रवाई की जायेगी। आवेदन की अस्वीकृति की स्थिति में पट्टाधारी से भूमि का कब्जा वापस लिया जाएगा। तथ्य यह है कि नियमावली के प्रावधानों के अन्तर्गत विभाग पट्टेधारियों को पट्टा समाप्ति के पूर्व सूचना निर्गत करने में असफल रहा।

हमने मामला विभाग और सरकार को जून 2012 में प्रतिवेदित किया तथा स्मार पत्र अगस्त 2012 में निर्गत किया; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (फरवरी 2013)।

5.10 सलामी और पूँजीकृत मूल्य का उद्ग्रहण नहीं होना/कम गणना करना

बिहार सम्पदा (खास महल) नियमावली के प्रावधानों के अन्तर्गत अक्टुबर 2010 और जनवरी 2011 के मध्य झारखण्ड सरकार द्वारा निर्गत राज्यादेश के अनुसार व्यावसायिक प्रयोजनों के लिए सरकारी भूमि (गैरमजरूआ खास/आम भूमि) का हस्तांतरण के मामले में सलामी वैसे भूमि का प्रचलित बाजार मूल्य पर तथा व्यावसायिक लगान का 25 गुणा पूँजीकृत मूल्य के रूप में भूमि के हस्तांतरण के पहले वसूलनीय है।

अंचल कार्यालय, माण्डू में सरकारी भूमि के हस्तांतरण से संबंधित अभिलेखों की समीक्षा के दौरान हमने देखा (मार्च 2012) कि छः मामले में वर्तमान बाजार दर पर सलामी एवं पूँजीकृत मूल्य जिसकी गणना क्रमशः ₹ 2.09 करोड़ एवं ₹ 2.62 करोड़ की गई, की अदायगी की शर्त पर वर्ष 2010-11 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग (एन.एच.) 33 के चौड़ीकरण हेतु व्यावसायिक प्रयोजनों के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एन.एच.ए.आई.) को 4.82 एकड़ गैरमजरूआ (जी.एम.) खास भूमि/आम भूमि,[8] का हस्तांतरण होना था। यद्यपि, हमने पाया कि सलामी एव पूँजीकृत मूल्य के उद्ग्रहण किये बिना वर्ष 2010-11 में उपयुक्त भूमि का हस्तांतरण कर दिया गया था, जो सरकर द्वारा जारी अध्यादेश का उल्लंघन था। जिसके फलस्वरूप ₹ 4.71 करोड़ के भू-राजस्व का उद्ग्रहण नहीं हुआ (सलामी ₹ 2.09 करोड़ और पूँजीकृत मूल्य ₹ 2.62 करोड़)।

हमारे द्वारा मामला मार्च 2012 में बताये जाने के बाद अंचल अधिकारी, माण्डू ने हमारे द्वारा बताये गए समूची राशि के लिए माँग का सृजन किया (अगस्त 2012)। यद्यपि, राजस्व उद्ग्रहण से संबंधित प्रतिवेदन अप्राप्त है (फरवरी 2013)।

हमने मामला सरकार को जून 2012 में प्रतिवेदित किया तथा स्मार पत्र अगस्त 2012 में निर्गत किया; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (फरवरी 2013)।

[8] गैर मजरूआ खास भूमि का अर्थ है कि भूतपूर्व मध्यवर्त्तियों द्वारा अधिकृत भूमि जिसे किसी रैयत को बन्दोबस्त नहीं किया गया, बाद में बिहार भूमि सुधार अधिनियम, 1950 के अन्तर्गत सरकार में सन्निहित हो गया।
गैर मजरूआ आम भूमि का अर्थ है कि कृषि के लिए अयोग्य भूमि जो आम लोगों द्वारा उपयोग किया जाता है, जैसा कि घास चराने के लिए मैदान, खेल मैदान, कब्रिस्तान, समाधि स्थल, धार्मिक स्थान, ग्रामीण सड़क आदि।